न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्या:–76 / 2021
जी.सी.एन.एस .संख्या:–2021 / 127

उनवान

1. अकबर
2. साबुद्दीन
3. बाबू खां

समस्त जौहरया समस्त जातियान मुसलमान निवासी घोघूपुरा तहसील गंगापुर सिटी।
...अपीलार्थीगण।

बनाम

1. अल्लानूर पुत्र हजारी
2. नजीर पुत्र गुलजी
3. जुम्मा पुत्र गुलजी
4. शिवहरी पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी बाढकोयल: तहसील बामनवास।
5. बद्रीलाल पुत्र सुखचन्द जाति गुर्जर निवासी घोघूपुरा तहसील गंगापुर सिटी। (मृतक)
   - 5/1. फतेहसिंह
   - 5/2. सुरेश चन्द
   - 5/3. बच्चूसिंह

   पिसरान बद्रीलाल — जाति गुर्जर निवासी घोघूपुरा तहसील गंगापुर सिटी
   - 5/4. कजोडी बेवा बद्री
6. हरिसिंह पुत्र गूजरमल
7. धर्मसिंह पुत्र परसादीलाल
8. भगवानसिंह
9. हरकेश
10. महेश (फौत)

पिसरान परसादीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी घोघूपुरा तहसील गंगापुर सिटी।

- 10/1. सचिन पुत्र महेश आयु 14 साल
- 10/2. राजकुमार पुत्र महेश आयु 11 साल
- 10/3. सपना पुत्री महेश आयु 12 साल
- 10/4. सरोज पुत्री महेश आयु 17 साल

नाबालिग जरिये संरक्षक [illegible]

- 10/5. मथुरा बेवा महेश

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10/6. बादामी बेवा परसादीलाल
समस्त जातियान गुर्जर निवासी धोधूपुरा तहसील गंगापुर सिटी।

11. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।
12. मन्जूलता धर्मपत्नि प्रमोद | जाति ब्राहम्ण निवासी घास मंडी के पास
13. प्रेरणा पत्नी हेमन्त शर्मा | गंगापुर सिटी
14. श्रीमति इन्द्राबाई पत्नि समन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ खुर्द तहसील गंगापुर सिटी।
15. रामलता पत्नि गोपालसिंह राजपूत निवासी ग्राम धोधूपुरा तहसील गंगापुर सिटी।

...रेस्पोंडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री इस्लाम खांन अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 01, 02, 12 ल0 15।
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 57/2011 बउनवान अकबर वगैरह बनाम अल्लानूर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2021 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा मातहत अदालत उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात वादीगण के पूर्वज नानगा पुत्र मिटठू जाति मुसलमान निवासी ग्राम धोधूपुरा की खातेदारी आराजी संवत् 2018 खसरा नम्बर 2 रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा, 32 रकवा 5 बीघा, 54 रकवा 5 बीघा 2 बिस्वा, 56 रकवा 8 बीघा 7 बिस्वा, 66 रकवा 8 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 रकवा 51 बीघा 6 बिस्वा ग्राम धोधूपुरा में है । जिसके वर्तमान सेटिलमेन्ट में एकीकरण खसरा नम्बर 2 के नये नम्बर 8 रकवा 0.52 हेक्टर, 9 रकवा 0.47 हेक्टर तथा एकीकरण खसरा नम्बर 32 के नये नम्बर 71 रकवा 0.71 हेक्टर, 72 रकवा 0.59 हेक्टर, 73 रकवा 0.56 हेक्टर, 54 के नये नम्बर 111 रकवा 1.38 हेक्टर तथा एकीकरण खसरा नम्बर 56 के नये नम्बर 114 रकवा 1.07 हेक्टर व 120 रकवा ... हेक्टर 138 रकवा 0.78 हेक्टर है। वादीगण के पूर्वज नानगा पुत्र मिटठू ... के ... ग्राम पंचायत बामन बडौदा द्वारा दिनांक 10.08.66 विरासत ... नानगा पुत्र मिटठू की विरासत वादीगण के पिता जौहरया के नाम दर्ज करने की बजाय अल्लानूर पुत्र हजारी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गुलजी को वादीगण के बाबा का पुत्र बताते हुए। वादीगण के पिता जौहरया के ... ही अल्लानूर व गूलजी का नाम दर्ज कर दिया। जबकि अल्लानूर और गुलजी का जौहरया से कोई संबंध वास्ता नही है। अल्लानूर के पिता का नाम हजारी और हजारी के पिता का नाम शेरया था तथा गुलजी का भाई था। हजारी व गुलजी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया।

प्रतिवादीगण का भूमि से कोई संबंध नही है परन्तु प्रतिवादीगण अल्लानूर तथा नजीर व जुम्मा ने भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 9 रकबा 0.47 है0, प्रतिवादी शिवलहरी को विक्रय कर दिये तथा खसरा नंबर 73 रकबा 0.56 है0, प्रतिवादी नंबर 1 अल्लानूर ने बदी पुत्र सुखचन्द हरकेश पुत्र परसादी व हरिसिंह पुत्र गुजरमल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से विक्रय कर दिये। इस प्रकार नजीर व जुम्मा ने खसरा नंबर 72 रकबा 0.39 है0, धर्मसिंह, भगवानसिंह, हरकेश पुत्र परसादी जाति गुर्जर को विक्रय कर दिये तथा अल्लानूर ने खसरा नंबर 126 रकबा 1.09 है0 प्रतिवादी श्रीमति मंजूलता धर्मपत्नि प्रमोद कुमार तथा श्रीमति प्रेरणा शर्मा धर्मपत्नि हेमन्त शर्मा निवासी गंगापुर सिटी को विक्रय कर दिया। इसी प्रकार नजीर पुत्र गुलजी ने भूमि खसरा नंबर 114 रकबा 1.07 है0, मे से हिस्सा 1/2 श्रीमति मंजूलता शर्मा एवं प्रेरणा शर्मा को विक्रय कर दिये। अब शेष भूमि खसरा नंबर 126 व 135 व 114 व 136 को भी प्रतिवादीगण रहन बय करने पर आमदा है। वाद पत्र में अनुतोष चाहे गए कि ग्राम धोंधूपुरा मे स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 125 रकबा 1.09 है0 प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के नाम से इजफ कर तथा खसरा नंबर 136 रकबा 0.56 है0 को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से इजफ कर तथा खसरा नंबर 114 रकबा 1.07 है0 मे से 1/2 हिस्सा जुम्मा के नाम से इजफ कर तथा 1/2 प्रतिवादीया संख्या 12 व 13 के नाम से इजफ कर तथा खसरा नंबर 135 रकबा 0.63 है0 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम से इजफ कर वादीगण के नाम दर्ज की जावे। भूमि हाल खसरा नंबर 8 रकबा 0.52 है0 खसरा नंबर 9 रकबा 0.47 है0 को शिवलहरी पुत्र रामरतन मीना निवासी बाढकोयला के नाम से इजफ कर तथा खसरा नंबर 73 रकबा 0.56 है0 को बदीलाल पुत्र सुखचन्द, हरकेश पुत्र परसादी हरिसिंह पुत्र गूजरमल जाति गुर्जर निवासी धोंधूपुर के नाम से इजफ कर तथा खसरा नंबर 72 रकबा 0.59 है0 धर्मसिंह, भगवानसिंह, हरकेश, महेश पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी धोंधूपुरा के नाम से इजफ कर वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करमाया जावे कि भूमि के कब्जे काश्त मे कोई व्यवधान न तो स्वयं करे न दीगर से करावें। मातहत अदालत ने दिनांक 24.12.21 को ... को पारित करते हुए वादीगण का दावा खारिज कर दिया ... अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त विवादित आराजीयात अपीलांटस्/वादीगण के बाबा नानगा पुत्र मिट्ठू की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। नानगा पुत्र मिट्ठू के मरने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण गलत रूप से अल्लानूर व गुलजी के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि यह अपीलांटस्/वादीगण के पिता भौरया के नाम दर्ज होना चाहिए था। प्रतिवादीगण के नाम भूमि गलत रूप से दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि मे से भूमि अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी। जिसका विवरण अदालत मातहत के वाद पत्र के पद नंबर 03 मे अंकित है। प्रतिवादीगण को भूमि विक्रय का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तनकी संख्या 9 क्षेत्राधिकार के संबंध मे कायम की गई कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त करवाये बिना अदालत मातहत को दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इसी बिंदु को आधार मानकर अदालत मातहत ने दावा खारिज कर दिया लेकिन मातहत अदालत ने अपीलांटस्/वादीगण का वाद पत्र बिना उक्त तथ्यों पर गौर फरमाये ही खारिज कर दिया जो विधि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.21 अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 2019 सिविल टाइम्स 1 पेज 160 मे निर्णय पारित किया है कि रजिस्टर्ड दान विलेख से भूमि को दीगर जगह ट्रान्सफर कर दिया। दान विलेख को अपने हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित करने के लिये सिविल कोर्ट मे वाद पेश किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मत प्रतिपादित किया कि बिना अधिकारो की घोषणा करवाये सिविल न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है तथा हको की घोषणा करने का एक मात्र अधिकार रेवेन्यु न्यायालय को है। अपीलार्थीगण के वाद मे मुख्य अनुतोष भी अधिकारो की घोषणा के संबंध मे ही है कि अल्लानूर व गुलजी के हक मे विरासत सही दर्ज की है या नही ? को अनदेखा करते हुये तनकी नंबर 9 का निर्णय अपीलार्थीगण के विरूद्व पारित करने कानूनी भूल की है। सिविल टाईम्स 2019(1) राजस्थान पेज 11 मे भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि रेवेन्यु न्यायालय को ही भूमि से संबंधित घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। कब्जा तथा विक्रय पत्र को अकृत व शून्य घोषित करने हेतु वाद कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण वाद धारा 207 [illegible] काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सिविल वाद वर्जित है। ऐसी [illegible] न्यायालय मे पेश किये गये वाद को रेवेन्यु न्यायालय मे पेश करने मे पेश करने के लिए लौटाये जाने के आदेश

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

पीठासीन अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दिये गये है। आगे कथन किया कि कृषि भूमि के संबंध मे हको के बारे मे विवाद होने पर हको की घोषणा करने का अधिकार रेवेन्यु न्यायालय को ही प्राप्त है। सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त नही है। उक्त सभी तथ्यों पर गौर फरमाये बिना ही मातहत अदालत ने अपीलांटस्/वादीगण का दावा खारिज कर दिया जो कतई विधिक व न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.21 को अपास्त किया जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के समर्थन मे दृष्टांत **2019(1) सिविल टाईम्स (एस.सी.) पेज 160, 2019(1) सिविल टाईम्स (राज0) पेज 11** पेश किए।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नानग्या पुत्र मिटठू के वारिसान के हक में खोला गया नामान्तकरण बिलकुल सही खोला गया है। अपीलांटगण/वादीगण द्वारा जो सजरा पेश किया गया वो गलत पेश किया गया है। वास्तव मे मिटठू के दो पुत्र शेरया व नानग्या थे। शेरया की मृत्यु के उपरान्त शेरया की पत्नी छोटी बाई नानग्या के नाते बैठ गयी। मृतक शेरया व छोटी देवी से एक पुत्र हजारी तथा नानग्या व छोटी देवी के दो पुत्र गुलजी व जौहरी थे। इस हजारी, गुलजी, जौहरी के हिस्से में 1/3–1/3 भूमि आयी जिस पर वे काबिज चले आ रहे थे। जिसमें हजारी की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र अल्लानूर हजारी तथा गुलजी की मृत्यु के उपरान्त नजीर व जुम्मा के हिस्से में भूमि आयी जिस पर वे काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं की इच्छा घर खर्च की आवश्यकता के लिए विवादित आराजीयात के कुछ हिस्से बेचान किये गये है जो कि उनका अधिकार भी है। मातहत अदालत द्वारा तनकी संख्या 9 को आधार मानकर रेस्पो0/प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज कर दिया गया। जो पूर्ण रूप से विधिक है। निर्णय किसी भी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन मे दृष्टांत **2021 (1) आर.आर.टी. पेज 81, 2021(1) आर.आर.टी. पेज 27** पेश किए।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत में प्रस्तुत दावा व जवाब दावा के आधार पर मुख्य विवाद का बिंदु विवादित [illegible] के पूर्वज नानगा की विरासत का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested

...ल अधिकारी
...माधोपुर

Scanned with CamScanner

9. वाद पत्र के अनुसार नानगा की विरासत निम्नानुसार है:—

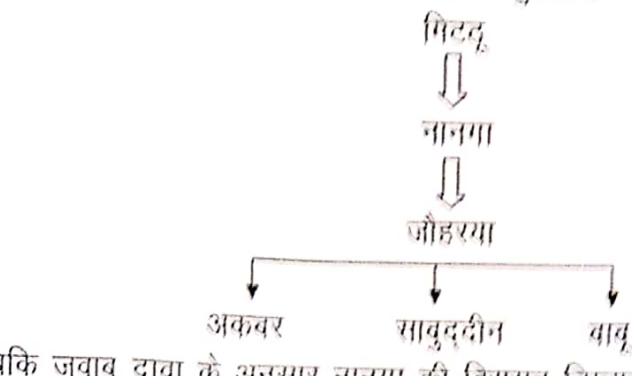

जबकि जवाब दावा के अनुसार नानगा की विरासत निम्नानुसार है:—

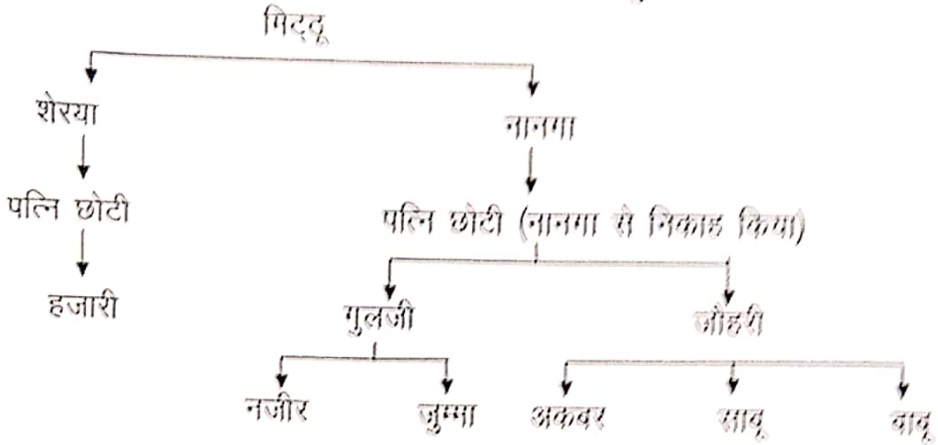

अदालत मातहत द्वारा वाद पत्र को तनकी की विवेचना करते हुए सर्वप्रथम तनकी 09 को कानूनी आधार पर पर निर्णय पारित किया और वाद पत्र खारिज कर दिया। तनकी 09 **"आया पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण के हक में खोले गए वैध खातेदारी को विक्रयपत्रों को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, यह दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। ....(भार प्रतिवादी नं 14, 15) "**

अदालत मातहत द्वारा तनकी नंबर 09 की गलत विवेचना की है।

सही विवेचना इस प्रकार है:— सुनवाई का क्षेत्राधिकार निर्धारण करते समय वाद पत्र मे अंकित अभिवचनों को देखा जाना मुख्य आधार है। वाद पत्र के अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र की जिम्मन नंबर 10(क) व 10(ख) में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी हजफ करना व वादीगण/अपीलांटस को खातेदार घोषित किए जाने का मुख्य अनुतोष है। वाद पत्र के तथ्यों से यह बखूबी साबित है कि वाद पत्र का अनुतोष ही पंजीकृत विक्रय पत्रो को निरस्त करने का नहीं [illegible] से शून्य घोषित करने एवं अपीलांट/वादीगण को विवादित [illegible] निषेधाज्ञा से संबंधित है। राजस्थान [illegible] की धारा 88 खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested

ल प्राधिकारी
माधोपुर

Scanned with CamScanner

अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। धारा 207– " **तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकार के सब वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने ओर अवधारित किए जाऐंगे। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तृतीय अनुसूची मे शामिल है।** " स्पष्ट है कि वाद पत्र के अनुतोष के आधार पर वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का ही है न कि सिविल न्यायालय का। इस प्रकार अदालत मातहत के द्वारा तनकी 09 की विधि विपरीत विवेचना कर जो वाद पत्र खारिज किया गया है वह अपास्त योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो0 के दृष्टांत यहां चस्पा नही होते तथा अधिवक्ता अपीलांट के दृष्टांत यहा पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

10. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के वाद संख्या 57/2011 बउनवान अकबर वगैरह बनाम अल्लानूर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2021 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकरान को विधिवत साक्ष्य सुनवाई का उचित अवसर देते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 16.03.2023 उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के समक्ष उपस्थित होवें।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 16.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner